

एंटी करप्शन & सोशल डेवलपमेंट काउंसिल



Independent Media Group of Company



संस्थापक:

स्व. श्री कुड़हादीन सचान

पूर्व प्रबंधक, कृषक इंटर कॉलेज, बिजौली - फतेहपुर

पूर्व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, रुस्तमपुर, विकास खंड अमौली - फतेहपुर

स्व. श्री बृजेश कुमार सचान

संस्थापक सदस्य

मार्गदर्शन:

श्री राम आसरे 'अकेला'

वरिष्ठ संरक्षक

वरिष्ठ हिन्दी आचार्य

श्री करन सिंह परिहार

पूर्व प्रवक्ता, कॉग्रेस

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, सं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी:

श्री संतोष कुमार सचान

वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसीएसडीसी

संपादकीय परामर्शः
श्री श्रवण श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार
जनसत्ता & जनसंदेश टाइम्स

संपादकः
श्री अमन दीप सचान
महानिदेशक, एसीएसडीसी
पूर्व छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
एडिटर-इन-चीफ, इंडिपेंडेंट मीडिया

कोऑर्डिनेटरः
श्री सुयश सचान
राष्ट्रीय महासचिव, एसीएसडीसी


डॉ. रोशन सिंह सचान
उप महानिदेशक, एसीएसडीसी

श्री प्रवीण प्रताप सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनसीसीआईबी

श्री अर्जुन गौतम
महानिदेशक, एनसीसीआईबी

© भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद

संपादकीय सहयोगः अक्षय दीप सचान, अर्पित सचान, शिवानी सचान
कवर डिजाइनः शोभित पटेल, सुयश सचान
मुद्रकः इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप ऑफ कंपनी



15 सितंबर, 2021

संदेश

साथियो.... जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार का जन्म आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पूर्व हो चुका था, जिसका परिणाम हमें मुगल वंश, ब्रिटिश राज्य, रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार का जन्म मुख्य रूप से अपनी अत्यधिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ है।

आज भ्रष्टाचार एक सर्वव्यापी रोग बन गया है, जो हमारे समाज के सभी क्षेत्रों धर्म, राजनीति, शिक्षा, व्यापार, शासन तंत्र आदि हर जगह दिखाई देता है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की सकारात्मक सोच के साथ मैंने 13 सितंबर 2021 को संस्था **“भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद”** की नींव रखी, जिसका उद्देश्य भारत देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना तथा देश के हर नागरिक को उचित न्याय तथा हर गरीब को अपना हक दिलाने में सहयोग करना है।

आशा है, आप सभी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरे या आपके अकेले का कार्य नहीं है, यह कार्य आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं।

कुडहादीन सचान



20 सितंबर, 2021

संदेश

साथियो.... **“भृष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद्”** अपने सगठनिक सूत्रों - मानवीय दृष्टिकोण, अनुशासन व संकल्पित शक्ति के साथ समाज सेवा का व्रत लेकर शासन द्वारा जनहित में प्रेषित व प्रदत्त-स्वान्वेषी, शासनानुप्रेरित प्रयोगों व सुविधाओं के प्रति समाज को जागरूक कर न्यायिक, नैतिक व संवैधानिक मार्ग दर्शन व सहायता करने का कार्य करती है।

संस्था सभी नागरिकों को विश्वास दिलाती है कि अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न की पीड़ा से भरी उनकी आवाज को उचित फोरम तक ले जाकर समाधान में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, संस्था उनके साथ है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता व सुरक्षा दिलाने हेतु कटिबद्ध है।

संस्था सभी अमानवीय व्यवहार, निर्दयता, उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण दिलाने, स्वेच्छाचारी कैद, निरोधन या निष्कासन के विरुद्ध सहयोग करने तथा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर है।

साथ ही यह संस्था उन सभी ऊर्जावान, उत्साही, अनुशासित व संस्था के नियमों के अंतर्गत सक्रिय सेवा हेतु संकल्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल होने का आमंत्रण देती है।

संतोष कुमार सचान



01 मार्च, 2024

संदेश

साथियो.... समूची दुनिया अनेकानेक कारणों से तेज बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव की दौड़ में हमारी स्थापित मान्यतायें, जीवन मूल्य, सांस्कारिक व्यवस्थायें भी आहत हुई, साथ की आहत हुई मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा मानव-मानव के बीच परस्पर संबंध सभी जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, क्षेत्र, लिंग आदि भेदों से परे होने चाहिये थे पर दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका।

वे शांति सदभाव प्रेम, सहयोग और समरसता के भाव विलीन हो गये। कालचक्र ने मनुष्यों के बीच कटुता वैमनष्य, द्वेष, घृणा, हिंसा, लालच जैसे विष से भर दिया।

“भृष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद्” न उन्हीं शाश्वत मानवीय संबंधों मूल्यों एवं अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध एक छोटा सा प्रयास है। संगठन परिवार के प्रत्येक सम्मानित सदस्य ने मानव के अधिकारों के अनेक पक्षों पर निःसंदेह योगदान दिया है।

कोरोना काल की त्रासदी में, संगठन का सहयोग कभी भूला नहीं जा सकता। पर्यावरण की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, खोये लोगों को राहत के साथ अनेक क्षेत्रों में अल्प अवधि में सराहनीय कार्य किये हैं, संगठन परिवार का प्रत्येक सदस्य साधुवाद और बधाई का पात्र है। अनेक अनेक मंगलकामनायें।

सुयश सचान



21 सितंबर, 2021

संदेश

साथियो.... यह जानकर अत्यंत हर्ष होता है कि भारत में भी शिक्षा/ उच्च शिक्षा का स्तर उठता जा रहा है, किंतु यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आम जनमानस में स्वयं के अधिकारों की जानकारी बहुत कम है, जिस कारण हर क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ता है।

व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक (हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक) कितनी ही बार अधिकारों का हनन होता है पता भी नहीं चल पाता आइए जिस प्रकार शिक्षा का स्तर उठ रहा है।

उसी प्रकार अपने अधिकारों को जानने के क्षेत्र में खुद को ऊपर उठाएं और शुरुआत करें. **“भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद्”** में शामिल होने का आमंत्रण देता हूँ।

अमन दीप सचान

अभिनंदन संदेश

प्रिय अमन दीप सचान जी, सादर अभिवादन “**भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद**” के सम्मानित सदस्य एवं पदाधिकारी जो निस्वार्थ भाव से एक नई जागरूकता समाज में उत्प्रेरित की है, तथा उसे कार्य रूप में परिणित भी की है इससे समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम, सहयोग और समरसता के भाव जाग्रत होंगे।

स्नेहाकांक्षी
राम आसरे 'अकेला'
वरिष्ठ हिन्दी आचार्य

अभिनंदन संदेश

भ्रष्टाचार, मौन मृत्यु के अंधकार की ओर ले जाने वाला तंत्र है। जो समाज की सिलसिलेवार ढंग से नब्ज कमजोर कर ही देता है। इसलिए समाज के विकास के लिए भ्रष्ट आचरण को सबसे पहले अपने आचार-व्यवहार से निकालने की आदत डालनी होगी। हम सबका व्यक्तिगत प्रयास ही सामूहिक प्रयास का रूप लेगा। राही मासूम रजा ने लिखा भी है कि -

सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे ,
इस मैली धूप को यारो , किस पानी से धोएं ?

अमन दीप सचान और उनकी टीम इस मैली धूप को धोने के लिए अपना पुरजोर योगदान दे रही है। वे बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें और उनकी टीम को इसी आकांक्षी मन से संलग्न रहने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

चंचल सचान
पीएचडी शोधार्थी
जेएनयू, दिल्ली

अभिनंदन संदेश

हमारे बाबा **स्व. माननीय श्री कुडहाडीन सचान जी** आपने भ्रष्टाचार को मुक्त करने की इस मुहीम को छेड़कर समाज में एक बेहतर बदलाव लाने का कार्य किया है, आपने हम सभी युवाओं को जागरूक कर शहीद भगत सिंह की तरह देश के लिए मर मिटने तक का हौसला पैदा किया हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करने तथा संस्था “**भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद**” की नींव रखने के लिए।

अक्षय दीप सचान
छात्र, बी. ए.

भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद के बारे में

एंटी करप्शन एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या 32/2021 है, यह एक आईएसओ 9001: 2015, नीति आयोग UP/2021/0294974 व उद्यम आधार UDYAM-UP-26-0005040 प्रमाणित संगठन.

भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद अपने देश के लिए प्रभावी ढंग से काम, स्वतंत्र रूप से काम करता है, यह राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, महिलाओं की सुरक्षा, वंचितों लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचना कल्याण आदि करना।

हमारे अधिकार व कर्तव्य

“एंटी करप्शन एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल” संगठन लोगों के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में कहना चाहता है, संविधान हमें छह मौलिक अधिकार देता है, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं।

- i. **स्वतंत्रता का अधिकार:-** स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। भाषण, लेखन या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह सरकार की नीतियों की आलोचना करने और उनके खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह उनसे सहमत नहीं है। वह भारत के किसी भी हिस्से में घूमने और कोई भी व्यापार या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है।
- ii. **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार:-** राज्य का कोई धर्म नहीं होता। यह किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। सभी धर्म कानून के समक्ष समान हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी की आस्था के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है।
- iii. **समानता का अधिकार:-** सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अमीर-गरीब, ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं है। जाति, पंथ, धर्म, लिंग या जन्म स्थान का कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक नागरिक उच्चतम पद प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसके पास क्षमता और आवश्यक योग्यता है।
- iv. **शिक्षा और संस्कृति का अधिकार:-** प्रत्येक बच्चा जाति, पंथ, धर्म और लिंग के भेद के बिना किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृक्ष है। वह किसी भी स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अल्पसंख्यक समूह अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वे अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- v. **शोषण के विरुद्ध अधिकार:-** इसका मतलब है कि किसी को भी बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भिखारी को कोई नहीं ले सकता। यह किसी से भी उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेने और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य जोखिम भरे व्यवसायों में काम करने से रोकता है।
- vi. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार:-** यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों को किसी तरह से

नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उसे मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो वह न्याय के लिए किसी भी अदालत में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।

कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार अर्थहीन हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो हमें अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान ने अपने नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया है। हमें अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं।

1. हमें अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए।
2. हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद उसी सीमा तक लेना चाहिए जहां तक वे दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों में हस्तक्षेप न करें।
3. हमें जरूरत के समय अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हमें अपने देश के लिए अपने जीवन और संपत्ति का त्याग करना चाहिए।
4. हमें अपनी राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, रेलवे, रोडवेज, पुल, स्कूल, कॉलेज, डाकघर, ऐतिहासिक इमारतें और जंगल ये सभी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं।
5. यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है कि हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और समय पर भुगतान करना चाहिए, हमारी सरकार हमारे कर्तव्यों से होने वाली आय से चलती है।

मिशन

"एंटी करप्शन एंड सोशल डेवेलोपमेंट काउंसिल" का मिशन भ्रष्टाचार को खत्म करने, अपराधों को नियंत्रण करने, आम जनमानस को मानवाधिकारों के विषय में जागरूक करने, बाल श्रम व महिला उत्पीड़न को खत्म करने, जागरूकता अभियान चलाने आदि न्याय के अध्ययन और अभ्यास में लगे एक बहु-विषयक समुदाय का निर्माण करना है, स्थानीय और विश्व स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति व युवा वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को बढ़ावा देना है, ताकि देश विकसित राष्ट्र बन सके।

एसीएसडीसी का काम

- किसी भी विभाग/ अधिकारी/ नेता या मंत्री/ व्यक्ति विशेष आदि के द्वारा किसी भी क्षेत्र में किए गए भ्रष्टाचारों का सम्पूर्ण जानकारी के साथ मीडिया के सामने खुलासा करना और भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्यवाही करवाना।
- रिश्तत लेने की लिखित सूचना/ पुख्ता सबूत या जानकारी होने पर एसीएसडीसी मुख्यालय व जिला कार्यालय, प्रदेश या जिले के सरकारी एंटी करप्शन कार्यालय, जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सूचित कर स्थानीय पुलिस बल के साथ छापेमारी कर भ्रष्टाचारियों को रंगेहाथ पकड़ना, और उनकी गिरफ्तारी करवा कर सजा दिलवाना।
- छापेमारी के दौरान वीडियोग्राफी टीम को साथ रखना, पूरे छापेमारी की वीडियोग्राफी करवाना।
- अपराध नियंत्रण, अपराधियों को पकड़वाने व सजा दिलवाने में पुलिस व सरकारी एजेंसियों का सहयोग करना।
- भ्रष्टाचार, अपराध व मानव अधिकारों या किसी भी मामले से सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ करना।
- किसी अदालत की अनुमति से किसी अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- राज्य सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी जेल या किसी अन्य संस्था का दौरा करना, (जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से हिरासत में रखा गया है) ताकि कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन किया जा सके और उस पर सुझाव दिया जा सके।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को बढ़ावा देना।
- मानवाधिकार शिक्षा, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना।
- समाज के संस्करण वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करें और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से सुरक्षा या इन अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

आवश्यक जानकारी

- छापेमारी व पूछताछ करने के लिए एसीएसडीसी की स्पेशल/ खुफिया टीम होगी, जो सूचना मिलने पर सरकारी एंटी करप्शन टीम के साथ कार्य करेगी।
- एसीएसडीसी के किसी भी सदस्य/ अधिकारी/ पदाधिकारी को छापेमारी करने का अधिकार नहीं है।
- सदस्य/ अधिकारी/ पदाधिकारी को एसीएसडीसी मुख्यालय को सूचना देने का अधिकार है।

- सदस्य/ अधिकारी/ पदाधिकारी को एसीएसडीसी मुख्यालय को लिखित सूचना देने के बाद अनुमति के आधार पर छापेमारी करने अधिकार है।

एसीएसडीसी की अपील

- आप एक भ्रष्टाचार व अपराध मुक्त, न्यायसंगत, समतामूलक समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- एसीएसडीसी से जुड़ें और इसकी गतिविधियों में अपना योगदान दें।
- आप अपने इलाके में एसीएसडीसी की गतिविधियों को बढ़ावा दें।
- एसीएसडीसी के नैतिक समर्थन के साथ-साथ रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करें।
- एसीएसडीसी का परिचय कराने के लिए मीडिया का उपयोग करें।
- एसीएसडीसी द्वारा शुरू किए गए प्रकोष्ठों और अभियानों में बढ़ चढ़ कर भाग लें।
- यदि आप एक शिक्षक, सैनिक, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या किसी स्थानीय निकाय में सार्वजनिक पद पर हैं, तो आपको एसीएसडीसी द्वारा शुरू किए गए प्रशिक्षण प्रयासों से लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- कृपया कर एसीएसडीसी के पक्ष में अपना योगदान भेजें.

सदस्यता शुल्क

सामान्य सदस्य

सामान्य सदस्य (दान शुल्क रु. 550/-) ये थाना स्तर पर सदस्य होंगे, जो थाना/ब्लॉक स्तर पर एसीएसडीसी का प्रतिनिधित्व करेंगे, वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मिलने और सूचना भेजने के लिए अधिकृत होंगे, श्रेणी के तहत नवीनीकरण शुल्क रुपये होगा, 350/- प्रति वर्ष

जिला इकाई अधिकारी

जिला इकाई अधिकारी (दान शुल्क रु. 1100/-) ये जिला स्तर पर अधिकारी होंगे, वे अपने गृह जिले में एसीएसडीसी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें कानून, संचार कौशल और भ्रष्टाचार पकड़ने में संगठित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वे सूचना/सार्वजनिक शिकायतों को एकत्र करते हैं, और उन्हें पुलिस, मीडिया और सरकार को प्रदान करते हैं ताकि वे जिला स्तर पर एसीएसडीसी को मजबूत करने के कार्य को अत्यंत प्रभावी ढंग से कर सकें, वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों / जिला प्रशासन अधिकारियों, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने और जानकारी भेजने के लिए अधिकृत होंगे, श्रेणी के तहत नवीनीकरण शुल्क रुपये होगा। 550/- प्रति वर्ष

प्रदेश इकाई अधिकारी

प्रदेश इकाई अधिकारी (दान शुल्क रु. 2100/-) ये प्रदेश स्तर पर अधिकारी होंगे, वे अपने प्रदेश में एसीएसडीसी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें कानून, संचार कौशल और छापा मारकर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए संगठित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वह अपना प्रदेश स्तरीय कार्यालय बनाएंगे, और अपने प्रदेश के जनपदों में नियुक्त अधिकारियों को सलाह व सहयोग प्रदान करेंगे, वे सूचना/सार्वजनिक शिकायतों को एकत्र करते हैं, और उन्हें पुलिस, मीडिया और सरकार को प्रदान करते हैं ताकि वे प्रदेश स्तर पर एसीएसडीसी को मजबूत करने के कार्य को अत्यंत प्रभावी ढंग से कर सकें, वे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों / जिला प्रशासन अधिकारियों, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने और जानकारी भेजने के लिए अधिकृत होंगे, श्रेणी के तहत नवीनीकरण शुल्क रुपये होगा। 1100/- प्रति वर्ष

राष्ट्रीय इकाई अधिकारी

राष्ट्रीय इकाई अधिकारी (दान शुल्क रु. 15000/-) ये राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी होंगे, वे पूरे देश में एसीएसडीसी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें कानून, संचार कौशल और छापा मारकर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए संगठित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वह अपना स्वयं का कार्यालय बनाएंगे, और प्रदेश में नियुक्त अधिकारियों को सलाह व सहयोग प्रदान करेंगे, वे सूचना/सार्वजनिक शिकायतों को एकत्र करते हैं, और उन्हें पुलिस, मीडिया और सरकार को प्रदान करते हैं ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर एसीएसडीसी को मजबूत करने के कार्य को अत्यंत प्रभावी ढंग से कर सकें, वे देश की जांच एजेंसियों, सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों / प्रदेशों के प्रशासन अधिकारियों, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने और जानकारी भेजने के लिए अधिकृत होंगे, श्रेणी के तहत नवीनीकरण शुल्क रुपये होगा। 5500/- प्रति वर्ष

उच्चतम शिक्षा

- सामान्य सदस्य: हाईस्कूल + अनुभव
- मंडल/जिला इकाई अधिकारी: हाईस्कूल + अनुभव
- राष्ट्रीय/प्रदेश इकाई अधिकारी: स्नातक/इंटरमीडिएट + अनुभव

सामान्य सदस्य/ जिला/ मंडल इकाई अधिकारियों के लिए लाभ

1. यूनिक आईडी कार्ड
2. नियुक्ति पत्र
3. सदस्य/जिला पदाधिकारी का पदनाम
4. ज्वानिंग सूचना स्थानीय थाने, एसपी व सीपी कार्यालय को भेजी जाएगी
5. ऑनलाइन सत्यापन
6. 24X7 कानूनी सहायता
7. जिला/मंडल इकाई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण (नामांकन के 3 महीने बाद)
8. वाहन स्टिकर
9. जिन सदस्यों व पदाधिकारियों के पास संस्था का ग्रीन कार्ड है, उन सभी को सहयोग राशि भी दी जाएगी

सभी आवश्यक अधिकारी अपनी गतिविधि रिपोर्ट त्रैमासिक जमा करें, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: +91 9454295233

एसीएसडीसी के नियम और विनियमन

- एसीएसडीसी के सदस्य और अधिकारी अपने स्वैच्छिक आधार पर काम कर रहे हैं, और उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है।
- सदस्यता अहस्तांतरणीय है, और एक बार भुगतान हो जाने के बाद, यह अप्रतिदेय है।
- किसी भी प्रकार के दुर्यवहार या कदाचार के परिणामस्वरूप एसीएसडीसी की सदस्यता रद्द हो सकती है।
- किसी भी प्रकार के वाद-विवाद सम्बन्धित कार्यवाही न्यायालय फतेहपुर के अधीन हैं।
- एसीएसडीसी के साथ उनकी सदस्यता के दौरान सदस्यों को जारी किए गए, पहचान पत्र के किसी भी गलत उपयोग के लिए एसीएसडीसी जिम्मेदार नहीं होगा।
- समाप्ति पर, पहचान पत्र को मुख्यालय में जमा करना होगा, समाप्ति के बाद, नियमित सदस्यता के लिए 30 दिनों में नवीनीकरण आवश्यक है।
- अपने पते, मोबाइल न. व ईमेल में परिवर्तन के मामले में, सदस्य को इसकी सूचना मुख्यालय को देनी चाहिए
- पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में एफआईआर करने के साथ ही मुख्यालय को लिखित में तुरंत सूचित करें, दूसरी कॉपी 500 रु. के भुगतान के पश्चात ही जारी होगी।
- सभी एसीएसडीसी सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपनी संबंधित क्षेत्र समिति/राज्य समिति/राष्ट्रीय समिति से माह में एक बार कार्यालय संपर्क करना चाहिए।
- यदि अगर कोई सदस्य या अधिकारी एसीएसडीसी के नियमों और विनियमों को चलाने में दोषी पाया जाता है, जो ट्रस्टी अधिनियम के तहत भी दंडनीय है, और सदस्य या अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- यदि आपको कोई संदेह, प्रश्न या समस्या है, तो कृपया एसीएसडीसी मुख्यालय से संपर्क करें।
- यह सभी सर्वाधिकार एसीएसडीसी के पास सुरक्षित हैं।

एसीएसडीसी ग्रीन कार्ड सुविधा



Under Govt. of India, Registration Act 1882 **ANTI CORRUPTION AND SOCIAL DEVELOPMENT COUNCIL**

(NON PROFIT, NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION)
(UNDER MSME, NITI AAYOG, NGO DARPAN)



यह कार्ड केवल ACSDC अथवा
ACO के सदस्य व पदाधिकारी ही
प्राप्त कर सकते हैं, यह कार्ड
ACSDC रोजगार योजना के
अंतर्गत दिया जाता है।



only display original card may be changed

GREEN CARD के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं:-

- Green Card धारा को संस्था का Active Member मान लिया जाता है।
- कार्ड धारक के द्वारा जितने भी सदस्य संस्था में शामिल किए जाते हैं, उनके मेंबरशिप का 20% उन्हें लोक कल्याण के कार्यों के लिए दिया जाता है, यदि माह में 15 सदस्य से अधिक सदस्य संस्था में ग्रीन कार्ड धारक शामिल कराता है, तो उनके द्वारा सम्मिलित किए गए सभी मेंबरों के मेंबरशिप शुल्क का 25% संस्था द्वारा दिया जाएगा।
- Green Card धारक को उनके कार्य और अनुभव को देखते हुए भविष्य में संस्था के State Council में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जहां भी सेमिनार अथवा लोक कल्याणकारी कर होंगे वहां उनको कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।
- संस्था द्वारा उनके कार्यों पर लेख एवं कहानी प्रकाशित की जाएगी।
- संस्था द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का ग्रीन कार्ड धारक को मुख्य हिस्सा माना जाएगा।
- समय-समय पर सम्मान समारोह आयोजित करके अच्छा काम करने वाले ग्रीन कार्ड धारक को सम्मानित किया जाएगा तथा उनके क्षेत्र में विकास के लिए योजना बनाकर उसे साकार रूप प्रदान करने का कार्य संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा।

ग्रीन कार्ड अपनाएं, घर बैठे रोजगार पाएं

**GREEN CARD
FEES- 650/-**

Helpline No.: 9454295233, 945295369 | www.acsdchq.in | info.acsdc@gmail.com
Registered Headquarter.: Joniha Road, Amauli, Fatehpur, Uttar Pradesh - 212631
Working Headquarter: Damodar Nagar, Barra, Kanpur Nagar - 208027

५-निविदा सूचना
 अर्जा/प्रमाणपत्र/23
 २७.०९.०९, लोक निर्माण विभाग के ए प्रेमी के राब पंजीकृत निविदादाता
 के माध्यम से नीचे दर्शाई गये कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है।
 कार्य का नाम अनुमानित खोबर निविदा प्रारंभ मूल्य कार्य पूर्ण अवसर

एसीएसडीसी के कार्यालय

पंजीकृत मुख्यालय & डाक पता: दीप स्टडी पॉइंट, जोनिहा रोड, अमौली, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश - 212631
मुख्यालय शाखा: नियर तिरंगा चौराहा, मंगला विहार 2, रामादेवी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208015

एसीएसडीसी के कार्यालय बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु व महाराष्ट्र राज्यों के लगभग सभी जिलों में हैं।

एसीएसडीसी से संपर्क कैसे करें

दूरभाष: 9454295233

ईमेल: info@acsd.org.in

वेबसाइट: www.acsd.org.in

फेसबुक: ACSDCHQ

एक्स: ACSDCHO

Reg.: Govt. Of India

Reg.No.: 0032

जब कोई
न सुने



तब हमें
चुने।

Anti Corruption-SDC

(Anti Corruption & Social Development Council)

भ्रष्टाचार व अपराध विरोधी राष्ट्रीय संगठन

Email: info.acsdcouncil@gmail.com

www.acsdcouncil.in

HelpLine No.: 9454295233

HelpLine No.: 9454295233

[19]

www.acsdcouncil.in

Email: info.acsdcouncil@gmail.com

भ्रष्टाचार व अपराध विरोधी राष्ट्रीय संगठन

एसीएसडीसी राष्ट्रीय टीम

संतोष कुमार सचान

राष्ट्रीय अध्यक्ष
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

सुयश सचान

राष्ट्रीय महासचिव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अमन दीप सचान

महानिदेशक
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

शोभित पटेल

राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

अर्पित सचान

अध्यक्ष, अनुशासन एवं
प्रबंधन समिति
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश

डॉ. रोशन सिंह सचान

उप महानिदेशक
कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश

अर्जुन गौतम

राष्ट्रीय सचिव
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

मो. शरीफ

राष्ट्रीय मंत्री
बांदा, उत्तर प्रदेश

फैशल

राष्ट्रीय सचिव

बिजनौर, उत्तर प्रदेश

पीयूष मनध्यान

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश

एस. के. जायसवाल

राष्ट्रीय सचिव
झांसी, उत्तर प्रदेश

प्रदीप कणसे

राष्ट्रीय सचिव
महाराष्ट्र

ललित किशोर

राष्ट्रीय मंत्री
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

डॉ. मो. अरशद

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
बांदा, उत्तर प्रदेश

जगन्नाथपुरी गोस्वामी

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
मध्य प्रदेश

विजय बहादुर सिंह

राष्ट्रीय मंत्री
बिहार

राजमाल मीना

राष्ट्रीय मंत्री
राजस्थान

जितेंद्र सिंह

राष्ट्रीय महामंत्री
मथुरा

मनोज कुमार अग्रहरी

राष्ट्रीय मंत्री
उत्तर प्रदेश

संतोष रामा पांडरे

राष्ट्रीय मंत्री
महाराष्ट्र

दीपक कुमार मिश्रा

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लल्ली देवी

राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला
मोर्चा

शिवानी सचान

राष्ट्रीय महासचिव,
महिला मोर्चा

नेहा जायसवाल

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला
मोर्चा

कोमल

राष्ट्रीय सचिव, महिला
मोर्चा

एसीएसडीसी प्रदेश टीम

नायाब आलम सिद्दीकी
प्रदेश प्रभारी
उत्तर प्रदेश

उत्पल पटेल
प्रदेश अध्यक्ष
बिहार

इरफान खान पठान
प्रदेश अध्यक्ष
गुजरात

सेवक किंजल
प्रदेश अध्यक्ष, महिला
मोर्चा, गुजरात

किशन सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
राजस्थान

शबाना सैफी
प्रदेश अध्यक्ष
उत्तराखंड

विश्वास
प्रदेश अध्यक्ष
कर्नाटक

शक्ति अरोरा
प्रदेश अध्यक्ष
पंजाब

अंकित श्रीवास्तव
प्रदेश अध्यक्ष, क्राइम
कंट्रोल डिवीजन, महाराष्ट्र

शोहेब रफिक गोलंदाज
प्रदेश अध्यक्ष
महाराष्ट्र

अकरम
प्रदेश प्रभारी
उत्तराखंड

झंकार कुमार वर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़

ब्रजराज सिंह
प्रदेश प्रभारी
झारखंड

नसीम
प्रदेश प्रभारी
मध्य प्रदेश

सागर दिलीप नाड़े
प्रदेश अध्यक्ष, करप्शन
कंट्रोल डिवीजन, महाराष्ट्र

गीता नन्द यादव
प्रदेश अध्यक्ष, क्राइम एंड
करप्शन, उत्तर प्रदेश

पप्पू पटेल
प्रदेश अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

कृशन कुमार
प्रदेश प्रभारी
हरियाणा

दया शंकर यादव
प्रदेश प्रभारी
बिहार

सर्वेराय कानसे
प्रदेश प्रभारी
महाराष्ट्र

कृष्णा सिंकु
प्रदेश अध्यक्ष
झारखंड

रामसेवक तिवारी
प्रदेश अध्यक्ष
मध्य प्रदेश